माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

पुनरीक्षण याचिका संख्या/- वर्ष 2015

1/- योगेन्द्र कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन
2/- श्रीमति पुष्पासिंह पत्नि श्री नागेन्द्रसिंह बुन्देला
निवासीयान टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0
---------पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1/- राजाराम जैन तनय मुन्नालाल जैन
2/- सुधीर कुमार जैन तनय प्रसन्नकुमार सिंघई जैन
निवासीयान नूतनबिहार कालौनी ढोंगा टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 25-6-2015 जो कि प्रकरण क्रमांक 61/अ-12/2014-015 मे पारित किया गया ।

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षणकर्तागण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये है कि अनावेदक ने भूमि खसरा नम्बर 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69/1 स्थित ग्राम महाराजपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 का सीमांकन हेतु कार्यवाही जिस पर से राजस्व निरीक्षक मण्डल मण्डल द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन एवं नापतौल संबंधित पटवारियो द्वारा कराया गया जिसके संबंध मे नक्शा पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसे राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया जिस सीमांकन मे बताया गया कि खसरा नम्बर 68 के अंश रकवा 0-0065 हे0 पर तार फैन्सिंग कर व उसी खसरा नम्बर के अंश रकवा 0-008 हे0 पर वेयर हाउस कार्यालय भवन व रकवा 0-004 हे0 पर सीमेंट का चबूतरा बना व रकवा 0-002 हे0 पर कार्यालय के सामने खालीजगह पर योगेन्द्र कुमार तनय बाबूलाल जैन एवं श्रीमति पुष्पासिंह पत्नि नागेन्द्रसिंह बुन्देला नि0 टीकमगढ़ का कब्जा पाया गया । जिस सीमांकन को राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 10-7-2015 को स्वीकार किया गया है इन्ही आदेशो

R 451-II/16 (नेमावर),

27.9.16.

आवेदक कुमारी उपस्थित
स्वयं अधि. [illegible] से
आवेदक प्रकरण को निरंतर
रखने हेतु कोई रुचि नहीं
है अतः प्रकरण स्वयं
रखने हेतु [illegible]
समाप्त किया जाता है।
पक्षकार सूचित हों।

[illegible]